उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-313/2021/सा02700/23-1-21-03सा0/21टीसी2

लखनऊ:: दिनांक 30 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

जनपद गोण्डा में सर्किट हाउस से राजकीय कालोनी, अम्बेडकर चौराहा, पुलिस लाईन होते हुए बहराइच मार्ग(अन्य जिला मार्ग) का नामकरण किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-956/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 12.10.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

क्र	जनपद	मार्ग का नाम	नामकरण
1	2	3	4
1	गोण्डा	सर्किट हाउस से राजकीय कालोनी, अम्बेडकर चौराहा, पुलिस लाईन होते हुए बहराइच मार्ग(अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 6.40 किमी)	"सत्यदेव सिंह मार्ग"

गिरिजेश कुमार त्यागी,

विशेष सचिव।

संख्या-313/2021/सा02700 (1)/23-1-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. अधीक्षण अभियंता(नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)

अनु सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।